

## न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:- 77/15 (RCMS No.2015/00057 (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

रसीद पुत्र भागमल जाति मेव निवासी भण्डारा तहसील कांमा जिला भरतपुर

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कांमा

.....रैसपो

अपील विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर के  
पत्रांक राजस्व/पुनर्वास /2000/2221दिनांक  
16.08.2000 नामा० सं० 1517 ग्राम भण्डारा  
तहसील कामां

उपस्थिति:-

1. श्री दीपक शर्मा वकील अपीलान्त
2. श्री उदयवीर कसाना राजकीय अभिभाषक

नि र्ण यदिनांक:-26.07.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के पत्रांक/राजस्व/पुनर्वास/2000/2221 दिनांक 16.08.2000 वसिलसिले दाखिल खारिज सं० 1517 बाबत् ख० नं० 1713 रकवा 0.34 वॉके ग्राम भण्डारा तहसील कामां के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर कामां ने अपीलान्त को विवादित आराजी ख० नं० 1713 रकवा 0.34 है० वांके ग्राम भण्डारा तहसील कामां का आवंटन दिनांक 13.07.2000 को किया था। जिला कलक्टर भरतपुर के पत्रांक 2221 दिनांक 16.08.2000 से उक्त आराजी से संबंधित नामान्तरकरण को दर्ज नहीं करने के आदेश दिये हैं जैसाकि उपखण्ड अधिकारी कामां के पत्रांक 2135 दिनांक 17.08.2000 जो तहसीलदार कामां को लिख कर कस्टोडियन भूमि के किये गये आवंटनों के नामान्तरकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने बाबत् लिखा गया है, से जाहिर हो रहा है। संबंधित पत्र की प्रति प्राप्त नहीं होने से बिना अपीलाधीन आदेश के अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्त का तर्क है कि दिनांक 13.07.2000 को तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर कामां द्वारा आराजी ख० नं० 1713 रकवा 0.34 हैक्टैयर वांके ग्राम भण्डारा का आवंटन

अपीलान्ट को 400/-रूपये प्रति बीघा की दर से किया गया था जिसकी कीमत आदि अपीलान्ट के द्वारा जरिये चालान दिनांक 02.08.2000 को जमा करा दिये थे। इसके पश्चात दाखिल खारिज भरा गया था लेकिन उपखण्ड अधिकारी कामां ने अपने आदेश क्रमांक पीए./पुनर्वास/2000/2135 दिनांक 17.08.2000 की पालना में स्थगन है, की पालना का नोट लगा दिया गया और अपीलान्ट के दाखिल खारिज को तस्दीक नहीं किया गया जो कतई गलत व खिलाफ कानून है। जिला कलक्टर भरतपुर ने पत्र संख्या राजस्व/पुनर्वास/2000/2221 दिनांक 16.08.2000 की अनुपालना में एसडीओ कामां को निर्देशित किया गया कि आप तत्कालीन तहसीलदार कामां द्वारा कस्टोडियन भूमि के किये गये आवंटनों के नामान्तरकरण किसी भी स्थिति में तस्दीक न करें जो कतई गलत है। उक्त नोट की वजय से अपीलान्ट का दाखिल खारिज तस्दीक नहीं हो सका। उक्त आदेश प्रशासनिक आदेश है जिसका दाखिल खारिज तस्दीक करने के मामले में कोई असर नहीं होता है जो अपने आप में एवीनीसियो बाइड है। जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 16.08.2000 एवं उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 17.08.2000 की नकल लेने हेतु प्रार्थनापत्र जिला कलक्टर भरतपुर को दिनांक 16.02.2006 को पेश किया जिस पर कलक्टर साहब के यहाँ से रिपोर्ट कर एसडीओ कामां व तहसीलदार कामां को लिखकर प्रार्थना पत्र भेज गये। जहाँ से असल प्रार्थनापत्र में नोट लगाकर कि तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, कह कर लौटा दिया। इसके पश्चात अपीलान्ट ने सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थनापत्र कलक्टर साहब भरतपुर एवं एसडीओ साहब कामां के यहाँ प्रस्तुत किये। जिन पर जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 27.09.2011 को यह लिखकर कि आदेश कार्यालय स्तर पर काफी तलाश कर लिया गया है परन्तु उपलब्ध नहीं हो पारहा है और उक्त आदेश आपके कार्यालय से संबंधित है। उपखण्ड अधिकारी कामां को भेजकर वांछित आदेश के विरुद्ध अपीलान्ट को नकलें नियमानुसार उपलब्ध कराने भेजी गई तथा एसडीओ साहब कामां ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को तहसीलदार कामां को दिया गया जिसको तहसीलदार कामां ने प्रति प्रमाणित कर अपीलान्ट को भेजी गई। इस प्रकार उक्त आदेशों की जिला कलक्टर भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां के यहाँ कोई आदेश पत्रावली न होना लिखकर सूचित किया गया है। उनका तर्क है कि नामा0 पर स्थगन का नोट होने से तस्दीक नहीं हो रहा है। उक्त आदेशों की नकलों के लिये अपीलान्ट 2006 से ही लगातार कोशिश करता चला आ रहा है लेकिन अपीलान्ट के सारे प्रयासों के बावजूद भी व सूचना के अधिकार की कार्यवाही करने के बावजूद भी नकलें नहीं मिल सकी हैं। अतः अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर का पत्रांक 2221 दिनांक 16.08.2000 निरस्त किया जाकर नामा0 तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश के बिना ही अपील पेश की है। इसलिये अपील चलने योग्य नहीं है। जिला कलक्टर ने दिनांक 16.08.2000 को नामान्तरकरण कस्टोडियन के होने से तथा आवंटन गलत तरीके से होने के कारण ही पत्र द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक नहीं करने का आदेश उपखण्ड अधिकारी को दिया था। उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार को उक्त पत्र का हवाला देते हुये नामान्तरकरण तस्दीक नहीं करने के निर्देश दिये थे। जिनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख0 नं0 1713 रकवा 0.34 है0 वांके ग्राम भण्डारा तहसील कामां का आवंटन तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर कामां ने अपीलान्ट को दिनांक 13.07.2000 को किया था। जैसाकि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण संख्या 1517 से जाहिर है। उक्त नामान्तरकरण के कालम नं0 14 में अंकित है कि "आवंटन मुताविक आदेश तहसीलदार क्रमांक/पुर्न/674-675 दिनांक 31.07.2000 तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर कामां।" उक्त नोट

से यह तो जाहिर है कि अपीलान्त को विवादित आराजी का आवंटन हुआ है। परन्तु आवंटन सही नहीं होने से या नियमानुसार नहीं होने से ही जिला कलक्टर भरतपुर के पत्रांक 2221 दिनांक 16.08.2000 से उक्त आराजी से संबंधित नामान्तरकरण को दर्ज नहीं करने के आदेश दिये हैं। जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी को पत्र लिखा है और उपखण्ड अधिकारी ने नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने बाबत् पत्र तहसीलदार कामां को लिखा है। जैसाकि उपखण्ड अधिकारी कामां के पत्रांक 2135 दिनांक 17.08.2000 जो तहसीलदार कामां को लिख कर कस्टोडियन भूमि के किये गये आवंटनों के नामान्तरकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने बाबत् लिखा गया है, से जाहिर हो रहा है। जिला कलक्टर का आदेश उचित है जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्त की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.08.2000 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबीर कुमार)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official